

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II - खण्ड 3 - उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 143]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 28, 2017/फाल्गुन 9, 1938

No. 143]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 28, 2017/PHALGUNA 9, 1938

वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) प्राट शल्क एवं सीम

(केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड) अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2017

सं. 09/2017-सेवाकर

सा.का.नि.176(अ).— जहां कि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि 1 जुलाई, 2012 से प्रारंभ होने वाले और 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाली अवधि (एतिश्मिन पश्चात जिसे उक्त अवधि से संदर्भित किया गया है), के दौरान सामान्तया प्रचलित प्रथा के अनुसार संग्रहालय में प्रवेश देने की सेवा पर कोई सेवाकर नहीं लगाया जाता था जबिक उक्त अविधि में इस सेवा पर सेवाकर लगाया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसी प्रथा के चलते उसका भगतान नहीं किया गया।

अत: अब वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 83 के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 11ग के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एततद्वारा यह निर्देश देती है कि वित्त अधिनियम, 1944 की धारा 66ख के अंतर्गत संग्रहालय में प्रवेश देने की सेवा पर जिस सेवाकर का भुगतान किया जाना था, लेकिन उक्त प्रथा के चलते उक्त अवधि में उसका भुगतान नहीं किया गया था, का अब भुगतान करने की जरूरत नहीं है।

[फा. सं. 137/68/2016-सेवाकर] डॉ. श्रीपार्वती एस.एल, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2017

No.09 /2017-Service Tax

G.S.R.176(E).—Whereas, the Central Government is satisfied that in the period commencing on and from the 1st day of July, 2012 and ending with the 31st day of March, 2015 (hereinafter referred to as the said period), according to a practice that was generally prevalent, there was non levy of service tax, on the services by way of admission to a museum and this service was liable to service tax, in the said period, which was not being paid according to the said practice.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 11C of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), read with section 83 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby directs that the service tax payable on the services by way of admission to a museum under section 66B of the Finance Act, 1994 but for the said practice, during the said period, shall not be required to be paid.

[F.No. 137/68/2016 -Service Tax]

Dr. SREEPARVATHY S.L, Under Secy.

1119GI/2017